भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 513
गुरुवार, 28 नवंबर, 2024/7 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

एयरलाइंस पर जुर्माना

513. श्री इटेला राजेंदर
श्रीमती डी. के. अरुणाः
श्री सुरेश कुमार शेटकरः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या डीजीसीए ने पिछले 10 वर्षों के दौरान एयर इंडिया और अन्य एयरलाइनों पर त्रुटिपूर्ण पायलट जोड़ियों, जिसमें कुछ क्षेत्रों में उड़ान पर प्रशिक्षु पायलट भी शामिल थे, के लिए जुर्माना लगाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) पिछले 10 वर्षों के दौरान इस मामले में विभिन्न एयरलाइनों पर कितना जुर्माना लगाया गया/वसूल किया गया है;
(ग) क्या यह सच है कि विनियामक ने कई खामियां पाए जाने के बावजूद विस्तृत जांच नहीं की;
(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) और (ख): पिछले 10 वर्षों के दौरान एअर इंडिया पर त्रुटिपूर्ण पायलट जोड़ियों, जिसमें कुछ क्षेत्रों में उड़ान पर प्रशिक्षु पायलट भी शामिल थे, के लिए जुर्माना लगाया है। इसका विवरण निम्नानुसार है:;

(i) डीजीसीए ने दिनांक 23.08.2024 को मेसर्स एअर इंडिया के निदेशक प्रचालन पर छह लाख रुपए का जुर्माना लगाया।

(ii) डीजीसीए ने मेसर्स एअर इंडिया के निदेशक प्रशिक्षण पर तीन लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इसके अतिरिक्त, दिनांक 23.08.2024 को मेसर्स एअर इंडिया के निदेशक प्रशिक्षण को छह महीने का निलंबन आदेश जारी किया गया।

(iii) डीजीसीए ने दिनांक 23.08.2024 को मेसर्स एअर इंडिया के जवाबदेह प्रबंधक, पर नब्बे लाख रुपए का जुर्माना लगाया।

(ग) और (घ): जी नहीं, डीजीसीए ने दिनांक 11 जुलाई, 2024 को मेसर्स एअर इंडिया शेड्यूलिंग सुविधा के अभिलेखन और औचक जांच सहित विस्तृत अन्वेषण की है।

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए डीजीसीए ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) प्रचालकों की पायलट शेड्यूलिंग प्रणाली की समीक्षा की गई है और प्रचालक एअर इंडिया को प्रशिक्षु पायलट को सामान्य पायलट के साथ जोड़े जाने से बचने के लिए तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करने की सलाह दी गई है। प्रचालक को ऐसी गलतियों से बचने के लिए अतिरिक्त जांच और संतुलन स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। प्रचालक ने डीजीसीए के मार्गदर्शन में उपयुक्त कदम उठाए हैं। ऐसे कदमों में शामिल हैं:

1. वरिष्ठ प्रबंधकों द्वारा शेड्यूलिंग गतिविधियों की बेहतर निगरानी,
2. कनिष्ठ रोस्टरिंग स्टाफ को प्रणाली प्रतिबंधों को ओवरराइड करने से रोकने के लिए सॉफ्टवेयर लॉक, और
3. ऐसी गलतियों के प्रति सतर्क रहने के लिए कर्मीदल को परामर्शिका (एड्वाइसरी) का प्रकाशन;

इन कदमों का उद्देश्य भविष्य में ऐसी गलतियों को रोकना है।

(i) डीजीसीए ने जुर्माना लगाकर और एक प्रमुख पदधारी को निलंबित करके एक सख्त संदेश दिया है। ऐसा यह सुनिश्चित करने हेतु है कि प्रचालक प्राथमिकता के आधार पर उपर्युक्त सुधारात्मक कार्रवाई करे।

(ii) डीजीसीए लेखापरीक्षा, निगरानी और औचक जांच के माध्यम से एअर इंडिया समेत सभी प्रचालकों के परिचालनों की निगरानी करता रहता है। इस तरह की निगरानी के अंतर्गत शेड्यूलिंग प्रणाली की नियमित जांच की जाती है, ताकि भविष्य में गलतियों से बच जा सके।

****